भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1193

सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना में कोल्हापुर को शामिल किया जाना

†1193. श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले में महालक्ष्मी मंदिर और ज्योतिबा मंदिर सहित तीर्थ और विरासत स्थलों के विकास के लिए 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान' (प्रसाद) योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि ऐसी कोई परियोजना है, तो आवंटित की गई और जारी की गई निधि, परियोजना के स्वीकृत किए गए घटकों और प्रत्येक स्थल पर हुई भौतिक/वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान और आगामी वित्तीय वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत कोल्हापुर में और तीर्थ/विरासत स्थलों को चिह्नित करने और उन्हें शामिल करने का विचार है; और

(घ) स्वीकृत किए गए कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा क्या है और पर्यटकों की संख्या कितनी है तथा स्थानीय समुदाय को होने वाले अपेक्षित आर्थिक लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय "तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान" (प्रशाद) नामक अपनी योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित देश में चिह्नित धार्मिक और विरासत स्थलों पर पर्यटन से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है।

वर्तमान में, कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, न ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में महालक्ष्मी मंदिर और ज्योतिबा मंदिर सहित तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों के विकास के लिए कोई भी परियोजना प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत की गई है।

तथापि, पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ): प्रत्येक परियोजना के लिए समय-सीमा अलग-अलग होती है, क्योंकि विभिन्न परियोजनाओं में अलग-अलग भौतिक स्थितियां होती हैं। प्रशाद योजना के तहत पर्यटन अवसंरचना और आगंतुक सुविधाओं का विकास बेहतर पहुंच, बेहतर आगंतुक अनुभव और तीर्थ स्थलों के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है।

*****